(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1101-पीबीआर/2008 एंव 1310-पीबीआर/2008 - विरूद्व आदेश दिनांक 17-7-2008 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना - प्रकरण कमांक 84/2006-07 तथा 84/2006-07 निगरानी

(दोनों प्रकरणों के पक्षकार)

बली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद असांरी
निवासी श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्व

अनवर पुत्र सुल्तान वक्श अंसारी
निवासी टोड़ी बाजार श्योपुर जिला श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4-10-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 84 एंव 85/2006-07 निगरानी में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 17-7-2008 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। दोंनों ही प्रकरण के पक्षकार एंव वादविषय समरूप होने से इस आदेश व्दारा निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्वा श्योपुर की आराजी कमांक 809 रकबा 13 विसवा की रिकार्डेड भूमिस्वामिनी महिला हसीना व शरीफन थी, जिन्होंने पॅजीकृत विक्रय पत्र से अनवर पुत्र सुल्तान को 4 विसवा

रकबा विक्रय कर दिया। इस 4 विसवा रकबे का मद परिवर्तन करने हेतु केता ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को आवेदन दिया, जिस पर प्र.क. 13 अ-2/ 1999-2000 तथा 10/1998-99 अ 20(4) पंजीबद्ध हुये। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने आदेश दिनांक 20-4-99 से भूमि का मद परिवर्तन करना स्वीकार किया एंव भवन निर्माण की अनुमति भी प्रदान कर दी। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 13 अ-2/1999-2000 तथा 10/1998-99 अ 20 (4) में पारित आदेश दिनांक 20-4-99 के विरूद्व कमशः दो अपील प्रकरण कमांक 24 एंव 25/2001-02 कलेक्टर श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर श्योपुर ने दोनों प्रकरणों में सँयुक्त सुनवाई करके आदेश दिनांक 5-2-2007 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश दिनांक 20-4-99 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी एन.ओ.सी. प्रकरण, अपीलांट के विक्रय पत्र में वर्णित भूमि की सीमाओं एंव रास्ते के सम्बन्ध में मौके की स्थिति अनुसार जांच कराई जावे तथा उभय पक्ष को सुनवाई उपरांत विधिवत् प्रकरण का निराकरण किया जावे। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष दो निगरानी प्रकरण कमांक 84 एंव 85/2006-07 प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा दोनों निगरानी प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 17-7-2008 से निगरानी स्वीकार की तथा कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 5-2-2007 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 17-7-2008 में निकाले गये निष्कर्षो तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा आदेश दिनांक 5-2-2007 में निकाले गये निष्कर्षो का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त

चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 17-7-2008 पारित करते समय निम्न आधार समायोजित किये है :-

" विवादित भूमि को निगरानीकर्ता अनवर व्दारा 22-4-89 को अभिलिखित भूमिस्वामी हसीना एंव शरीफन से क्रय की जाकर वर्ष 97 में उक्त भूमि का सीमांकन कराया गया था। राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 12-1-97, पंचनामा तथा रसीद आदि पेश है जबकि विद्वान कलेक्टर जिला श्योपुर ने अपने आदेश में लिखा है कि संलग्न नही है। यदि गैरनिगरानीकर्ता को कोई आपत्ति थी तो उसी समय जिस पर सीमांकन हो रहा था उठानी चाहिये थी। वर्ष 97 में हुये सीमांकन को अपील में वाद बिन्दु बनाया गया । .....अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 9/99-2000/133 में तहसीलदार श्योपुर ने जो जांच रिपोर्ट पेशी की है उसमें यह माना है कि निगरानीकर्ता विवादित भूमि पर काविज होकर निवासरत है। उसके वाद प्रकरण में कमिश्नर नियुक्त किया गया था और कमिश्नर ने भी अपने प्रतिवेदन दिनांक 25-2-2001 में लिखा है कि कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। "

इसी सम्बन्ध में कलेक्टर श्योपुर व्दारा आदेश दिनॉक 5-2-2007 में निकाले गये निष्कर्ष की स्थिति इस प्रकार है :-

" अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में जो इश्तहार संलग्न है, उसका चस्पा विधिवत नहीं हुआ है, उस पर चस्पा दिनांक भी अंकित नहीं है। राजस्व निरीक्षक नजूल व्दारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें मौके की जांच का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई पंचनामा बनाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20-4-99 स्थिर रखे जाना संभव नहीं है। "

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 17-7-2088 एंव कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनॉक 5-2-2007 में निकाले गये निष्कर्षो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर अपर आयुक्त व्दारा निकाले गये निष्कर्ष वर्ष 97 में उक्त भूमि के हुये सीमांकन एंव सीमांकन के संबंध में राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 12-1-97 पर आधारित हैं किन्तु यह अंकित नहीं किया है कि इस सीमांकन की सूचना आवेदक को दी गई थी अथवा नहीं ? मूल मामला अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 13 अ-2/1999-2000 तथा 10/1998-99 अ 20(4) में डायवर्सन एंव भवन निर्माण अनुमति वावत् आये तथ्यों पर आधारित होकर पारित आदेश दिनांक 20-4-99 के तथ्यों पर विचार वावत् है जिसमें कलेक्टर श्योपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में खामियॉ पाई हैं कि इश्तहार चस्पा विधिवत नहीं हुआ है, उस पर चस्पा दिनांक भी अंकित नहीं है। राजस्व निरीक्षक नजूल व्दारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें मौके की जांच का कोई उल्लेख नहीं

है और न ही कोई पंचनामा बनाया गया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश परस्पर पूरक नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की तुलना करने पर कलेक्टर श्योपुर के अपील प्रकरण कमांक 24 एंव 25/2001-02 में आदेश दिनांक 5-2-2007 में दिये गये निष्कर्ष तात्कालित स्थिति पर आधारित है एंव उनके द्वारा सार्वजनिक हित के रास्ते के विवाद को सुलझाने के उद्वेश्य से प्रकरण को पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। कलेक्टर श्योपुर के आदेश के कम में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष सुनवाई के दौरान उभय पक्ष को लेखी/ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 84 एंव 85/ 2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2008 दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 84 एंव 85/ 2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2008 दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है एंव कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 24 एंव 25/2001-02 में पुर्नजांच एंव सुनवाई वावत् पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 5-2-2007 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर